न्यायालय लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीनअधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 293 / 2021

प्रार्थीगण :–
1. परसराम पुत्र श्री सुखदेव
2. रूकमाई पत्नि श्री पारसराम
3. सेणीदेवी पत्नि महेन्द्रराम
सभी जातियान जाट
निवासीगण बोयल तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–
भूमिधारक एवं रेकर्ड धारक
जरिये तहसीलदार पीपाड़
शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री अब्दुल सलीम खां प्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार

निर्णय

दिनांक : 24.06.2021

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :– कस्बा बोयल पटवार हल्का बोयल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा सं. 832 रकबा 1.9416 हेक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ व खसरा संख्या 833 रकबा 0.5420 हेक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ कुल खसरे 02 रकबा 2.4836 भूमि आई हुई है जो प्रार्थी ने खातेदारीसुदा कृषि भूमि स्थित है उक्त कृषि भूमि खाता संख्या नया 865 व पुराना 544 पर इन्द्राजसुदा है। कस्बा बोयल पटवार हल्का बोयल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 832/1 रकबा 1.9497 हेक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ व खसरा संख्या 833/1 रकबा 0.5420 हेक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ कुल खसरे 02 रकबा 2.4917 भूमि आई हुई है जो प्रार्थी ने खातेदारीसुदा कृषि भूमि स्थित हैं उक्त कृषि भूमि खाता संख्या नया 871 व पुराना 719 पर इन्द्राजसुदा है। कस्बा बोयल पटवार हल्का बोयल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 832/2 रकबा 1.9497 हेक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ व खसरा संख्या 833/2 रकबा 0.5420 हेक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ कुल खसरे 02 रकबा 2.4917 भूमि आई हुई है जो प्रार्थी ने खातेदारीसुदा कृषि भूमि स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि खाता संख्या नया 866 व पुराना 288 पर इन्द्राजसुदा है। उपरोक्त वर्णित खसरा में से केवल खसरा संख्या 832/2 व 833/2 की खातेदार है। उक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है व कम्प्यूटर प्रिण्ट नक्शा भी संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निरबाद रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का मात्र कृषि हेतु ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहा है उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर प्रार्थी अपना जीवन यापन करता है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर पास स्थित अन्य खसरान जो राजकीय रास्ते की भूमि है जिस पर सरकार द्वारा अथवा अन्य कृषि भूमि धारकों द्वारा रास्ते की भूमि को छोड़कर प्रार्थीगण के खातेदारीसुदा भूमि में से सड़क निकाल देने का पुरा अंदेशा है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान अपने स्तर पर करने पर प्रार्थीगण की भूमि मौके पर राजस्व रेकर्ड से मिलान करने पर कम पड़ रही हैं इसलिए प्रार्थीगण को पूरा अंदेशा हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा कृषि भूमि में से सड़क निकाल दी गई हैं प्रार्थीगण रेवन्यू रेकर्ड के अनुसार नाम चौक करना नहीं जानता लेकिन प्रार्थी अपनी वादग्रस्त कृषि भूमि पर आधीपत्य के साथ कब्जा रखना आवश्यक समझता हैं इसलिए प्रार्थीगण से अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबें व नक्शें के अनुसार नाम चौक करवाना आवश्यक समझता हैं व प्रार्थीगण को नाप चौक करवाने की आवश्यकता भी हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वर्णित वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ मुटाम कायम करवाकर दीवार/तारबंदी करवाना चाहते हैं। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 832, 833, 832/1, 833/2 व 833/2 का नाप चौक किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरकढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक व लाजमी हैं जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नहीं हों। वादग्रस्त खसरे के चिपता हुआ कटाण रास्ता आया हुआ हैं इसलिए वादग्रस्त खसरे की सीमाओं को लेकर भी किसी प्रकार का विवाद प्रार्थी/अप्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों एवं सरकारी कर्मचारियों के बीच में विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिए अप्रार्थी को पक्षकार बनाया गया हैं ताकि प्रार्थीगण द्वारा दिवार व तारबंदी के दौरान रास्ते पर भी किसी प्रकार का अतिकमण नहीं हो। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देंगे एवम् मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देंगे तथा नियमानुसार कमिश्नर फीस अदा कर देंगे। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस रूपया मय तलबाना के प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण भूमिधारी व रेकर्ड धारक होने से आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बोयल की राजस्व सीमा में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। नजदीक भविष्य में प्रार्थीगण कृषि करते वक्त खेत के पड़ोसियान द्वारा विवाद करने की सम्भावना हैं इसलिए प्रार्थना पत्र का कारण भविष्य की सम्भावना को देखते हुए माना जाना सही हैं प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश हैं। उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण को आदेश दिया जावे की ग्राम बोयल में स्थित वादग्रस्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
... शहर (जोधपुर)

खसरा संख्या 832, 833, 832/1, 833/1, 832/2 व 833/2 की भूमि को भी भूमि का नाप चौक किया जाकर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद सहित पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाने का आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को सादर फरमावें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष में अता फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त आराजी सीमांकन की जाकर पत्थरगढ़ी की जाती है तो कोई एतराज नहीं है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अप्रार्थी तहसीलदार का जवाब का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बोयल के खसरा संख्या 832, 833, 832/1, 833/1, 832/2 व 833/2 का टीम गठित कर नाप चौक व सीमांकन कर व रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाईस करवाकर पत्थरगढ़ी करावें। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकोष में जमा करावें। तहरीर जारी हो। बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 24.06.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)